न्यायालय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु बोर्ड आफ ग्वालियर म0प्र0

R 3821-III/14 प्र0क0 /14-15 निग्रानी

1.भंवरलाल पिता नंदरामजी माली,उम्र 73 साल धंधा खेती,
निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तह. व जिला मंदसौर म0प्र0
2.बद्रीलाल पिता नंदराम माली,उम्र 70 साल धंधा खेती,
निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तह. व ज़िला मंदसौर म0प्र0 ................प्रार्थीगण

बनाम

1.राधेश्याम पिता बालुरामजी माली उम्र 69 साल धंधा खेती
निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तह. व जिला मंदसौर म0प्र0
2.कैलाश पिता अमृतरामजी माली उम्र 45 साल धंधा खेती,
निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तह. व जिला मंदसौर म0प्र0
3.ओमप्रकाश पिता अमृतराम माली उम्र 42 साल धंधा खेती,
निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तह. व जिला मंदसौर म0प्र0
4.जगदीश पिता अमृतराम माली उम्र 40 साल धंधा खेती,
निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तह. व जिला मंदसौर म0प्र0............विपक्षीगण

**निगरानी तहत धारा 50 म .प्र.भू.रा.संहिता 1959.**
**बनाराजी आदेश दिनांक 20.8.2014 न्यायालय तहसीलदार महोदय मंदसौर जिला मंदसौर प्र0क 8 अ 27 /06–07 (राधेश्याम वि0भंवरलाल आदि) में पारीत आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानी समयावधि मे पेश है।**

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्न निगरानी ज्ञाप पेश है:–

**//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //**

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी कमांक 1 राधेश्याम ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय मंदसौर के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 178 म.प्र.भु.रा.संहिता 1959 के तहत पेश किया जिसका जवाब प्रार्थीगण द्वारा दिया गया। तथा प्रार्थीगण ने एक आपत्ति आवेदन पत्र अधिनस्थ न्याायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने एक अपील विवादित भुमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष प्रस्तुंत की है जो लंबित है और उसमे स्वत्व के प्रश्न का निराकरण होना शेष है जो माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में प्रचलित अपील प्र0क0761/2006 (भंवरलाल वि0राधेश्याम) है जो उसके निराकरण तक तहसील न्यायालय मंदसौर का प्रकरण स्थिगित किया जाना न्यायोचित है। और स्थगन पेश करने हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया ।

निरन्तर पेज 2 पर........

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-3821-तीन/14 **जिला**- मंदसौर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-18 | आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |